

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (बजट, 2022 सत्र)

(07 मार्च, 2022 से 25 मार्च, 2022 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों (सदन की बैठक) के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	-----	08.03.2022	28.02.2022
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री	15.03.2022	06.03.2022
पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	24.03.2022	16.03.2022
स्कूल शिक्षा	राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा		
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण		

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

वर्ग-2

सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
जनसम्पर्क	-----"		
नर्मदा घाटी विकास	-----"		
विमानन	-----"		
प्रवासी भारतीय	-----"		
महिला एवं बाल विकास	-----"		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	-----"		
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	-----"	09.03.2022	02.03.2022
आनंद	-----"	16.03.2022	09.03.2022
वित्त	वित्त मंत्री	25.03.2022	17.03.2022
वाणिज्यिक कर	-----"		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	-----"		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	-----"		
पर्यटन	पर्यटन मंत्री		
संस्कृति	-----"		
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	-----"		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री		

वर्ग-3

वन	वन मंत्री		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	10.03.2022	02.03.2022
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	-----"	17.03.2022	10.03.2022
राजस्व	राजस्व मंत्री		
परिवहन	-----"		
खनिज साधन	खनिज साधन मंत्री		
श्रम	-----"		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-4			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	-----"		
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री		
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	11.03.2022	03.03.2022
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री	21.03.2022	11.03.2022
पर्यावरण	-----"		
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री		
आयुष	राज्य मंत्री, आयुष		
वर्ग-5			
गृह	गृह मंत्री		
जेल	-----"		
संसदीय कार्य	-----"		
विधि एवं विधायी कार्य	-----"		
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री		
अनुसूचित जाति कल्याण	-----"		
पशुपालन एवं डेयरी	पशुपालन मंत्री	14.03.2022	04.03.2022
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	-----"	23.03.2022	15.03.2022
चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री		
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	-----"		
सहकारिता	सहकारिता मंत्री		
लोक सेवा प्रबंधन	-----"		
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण		
घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति	-----"		

भोपाल :
दिनांक : 03.02.2022

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट :-

1. विवरण के स्तम्भ (3) एवं (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी।
2. प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रारूप में ही भेजे।
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है, नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ" अंकित कर प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा।
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 है, तो उसकी भी ऑनलाईन स्वच्छ / पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर उत्तर में पुस्तकालय परिशिष्ट उल्लेख कर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही अनिवार्य रूप से विधान सभा सचिवालय में ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) भेजी जायें।
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / संशोधन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए। उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे।

नोट :-

सभी विभागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में हार्डकॉपी के रूप में प्रेषित किये जाने वाले पुस्तकालय परिशिष्ट के वाहक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही साहित्य का प्रदाय करें।

पृष्ठा-1 अ 1899/2022

भोपाल, दिनांक 04.02.2022

प्रतिलिपि :-

- (1) मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
- (3) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
- (4) मध्यप्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.